मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 28.04.2024

थाना कछवां क्षेत्रान्तर्गत घर से गायब हुए 06 माह के बच्चे की घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्त गिरफ्तार , बच्चा पूर्व में सकुशल बरामद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व गमछा बरामद —

थाना कछवां , जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 25.04.2024 को वादी संदीप कुमार गोड़ पुत्र भोलानाथ गोड़ निवासी खानपुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के 06 माह के बालक का अपहरण हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-32/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘अभिनंदन’ द्वारा उक्त अपहरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र बालक की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कछवां को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कछवां पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.04.2024 को 24 घण्टे के अन्दर अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः 28.04.2024 को थाना कछवां पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत क्रिश्चियन तिराहे से उक्त घटना से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तों 1.प्रभात उपाध्याय उर्फ छोटू पुत्र अनिल उपाध्याय , 2.जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र सुक्खुराम निवासीगण बधवा थाना कछवा जनपद मीरजापुर व 3.सुजीत उर्फ सुड्डू पुत्र पुनवासी निवासी वीरभानपुर थाना राजातालाब जनपद वाराणसी को अंतर्गत धारा 363,368,34 भादवि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अपहृत बालक से सम्बन्धित 01 अदद गमछा व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल UP 65 CJ 0398 बरामद किया गया। मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि जितेन्द्र उर्फ छोटू की कोई संतान नही थी जिसे वह अपने दो अन्य साथियों से इस बारें में बात की और बच्चे की चाह के बारे में बताया। जिसपर उसके साथी प्रभात उपाध्याय व सुजीत द्वारा रेकी कर ग्राम बधवां से मध्य रात्रि एक घर के अंदर सोये हुए एक बच्चे को उठा लिया गया तथा साथी जितेन्द्र को दे दिया गया। पुलिस द्वारा की जा रही सघन तलाशी/चेकिंग की डर से हम लोगों द्वारा मेहदीगंज में सुनसान रास्ते के किनारे बच्चे को छोड़ दिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. प्रभात उपाध्याय उर्फ छोटू पुत्र अनिल उपाध्याय निवासी बधवा थाना कछवां जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-36 वर्ष।
2. जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र सुक्खूराम निवासी बधवा थाना कछवां जनपद मीरजापुर , उम्र करीब-27 वर्ष।
3. सुजीत उर्फ सुड्डू पुत्र पुनवासी राम निवासी वीरभानपुर थाना राजातालाब जनपद वाराणसी , उम्र करीब-32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-32/2024 धारा 363,368,34 भादवि थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या – UP 65 CJ 0398
- एक अदद गमछा(बालक से सम्बन्धित)।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

कस्बा कछवां स्थित क्रिश्चियन तिराहा के पास से, आज दिनांकः 28.04.2024 को समय 10.00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह थाना कछवां मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक अविनाश प्रकाश राय थाना कछवां मय पुलिस टीम।

पुलिस